न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सिंवर, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 125/2019(90/2014)
GCMS NO. : 2014/00195

-: वादीगण :-	बनाम	-: प्रतिवादीगण :-
1. पपुड़ी पत्नी सुखनाथ 2. शांति पुत्री सुखनाथ 3. राजू पुत्री सुखनाथ जातियान- नाथ, निवासी- गांव बलुपुरा, तहसील- जैतारण, जिला- पाली, राज०।		1. भंवरनाथ पुत्र हीरनाथ 2. प्रेमनाथ पुत्र हीरनाथ 3. तेजनाथ पुत्र हीरनाथ 4. सायरी पुत्री हीरनाथ जातियान- नाथ, निवासी- गांव बलुपुरा, तहसील- जैतारण, जिला- पाली, राज०। 5. तहसीलदार, एवं उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण।

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955   **तारीख रजू: 23/09/2019**

उपस्थितः-
1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::-   **दिनॉकः- 31/03/2021**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बलूपूरा, पटवार हल्का राबडियावास तहसील जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 81/4 रकबा 11-09 बीघा, खसरा नम्बर 128 रकबा 38-07 बीघा, खसरा नम्बर 146 रकबा 72-19 बीघा, खसरा नम्बर 154 रकबा 13-09 बीघा कुल खसरा 04 कुल रकबा 136-045 बीघा की आई हुई है। नकल जमावन्दी वादपत्र के साथ पेश है। जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त वर्णित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की राजस्व रेकर्ड मे सामलाती आराजी है। जिसका कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाऊण्डरस् के बंटवाड़ा नही हो रखा है, मौके पर आपसी सहमति से उक्त आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग कर रहे है तथा उक्त आराजी में पक्षकारान माफिक अपने अपने हक हिस्से [illegible] पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज होने, उसका कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाउण्डरस् के बंटवाड़ा नहीं होने से वादीगण को अनेको प्रकार की कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है। जिसमें वादीगण अपनी आराजी में कुआ खुदवाने, बैंक से ऋण लेने, अपनी आराजी को उपजाऊ बनाने, उसके चारो तरफ तारबन्दी करनें, खाद-बीज मिट्टी डालने में वादीगण को अनेको परेशानीयो का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.14 16:18:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

परेशानीयो से बचने के लिये कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाऊण्डरस् के बंटवाड़ा बाबत् यह वादपत्र पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादीगण का पर मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार कब्जा व काश्त है, परन्तु प्रतिवादीगण वादीगण को मौके से बेदखल कर वादीगण की बेसकीमती आराजी को हड़प करना चाहते है तथा आये दिन उसके कब्जे-काश्त में दखलन्दाजी कर रहे है तथा वादीगण की आराजी में कब्जा करने पर उतारू है तथा वादीगण की हिस्से की आराजी को प्रतिवादीगण जबरदस्ती अजनबी केता को बेचान, रहन व अन्य हस्तान्तरण करने पर आमादा है। यदि प्रतिवादीगण अपने इननापाक इरादो मे कामयाब हो जाते है एवं वादीगण को मौके से बेदखल कर देते है एवं भूमि का बेचान कर देते है, तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी एवं अपने जायज हक व अधिकारो से महरूम हो जायेगा। इसलिए वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। दिनांक 26.04.2014 को प्रतिवादीगण ने वादीगण को मौके से बेदखल करने एवं अपना कब्जा जमाने की धमकी दी तब वादीगण ने प्रतिवादीगण को कहा कि आपसी रजामन्दी से उक्त आराजी का कानूनन बंटवाड़ा कर ले, परन्तु प्रतिवादीगण इन्कार हो गये एवं वादीगण को कहा कि वो धनबल के आधार पर उसे बदेखल कर सम्पूर्ण आराजी पर अपना हक व अधिकार जमा लेगें तथा भूमि का बेचान अजनबी केता को जबरदस्ती कर देगे। यदि प्रतिवादीगण अपने गैरकानूनी मंसुबो में कामयाब हो जाते है तो वादीगण को अपने साम्पैतिक अधिकारो से हमेशा के लिये महरूम होना पड़ेगा एवं मौके पर लड़ाई झगड़े होगें, विवाद बढेगा। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिग्स् बढेगी। इसलिए वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र वायत बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादीगण संख्या 05 तहसीलदार, एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) सी.पी.सी. का अलग से श्रीमान के समक्ष सादर प्रस्तुत किया जा रहा है। बिनाय वाद दिनांक 26-04-2014 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त आराजी का बंटवाड़ा करने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार होनें एवं वादीगण को मौके से बेदखल करनें व वादीगण के हक हिस्से की आराजी का अन्य हस्तान्तरण करनें की ऐलानिया धमकी देनें पर बमुकाम बलुपुरा तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में पैदा हुआ, जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 02 से 05 को बार बार आवाजें दिलाई [illegible] मौजूद सम्मन् सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके [illegible] की गई। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ जो [illegible] है। वकील प्रतिवादी संख्या 01 को जवाबदावा पेश करनें के अनेकानेक [illegible] दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करनें से जवाब दावा बन्द अवसर बन्द किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.14 16:18:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

जाता है। वकील वादी संख्या 01 का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया सा0मि0 है।

वकील प्रतिवादी साक्ष्य प्रस्तुत नही कर अंतिम बहस हेतु तैयार हुए। बहस उभयपक्ष सुनी गई। हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। वाद-पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा हस्तगत वाद में सहखातेदार को पक्षकारान् नहीं बनाया गया, जो की हस्तगत वाद के निस्तारण के लिये अत्यावश्यक है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार " अभिधृतियों का विभाजनः-

53. जोत का विभाजन [(1) xx दि. 11.11.192 से लोपित] [1]

(2) जोत का विभाजन निम्नलिखित रीति से किया जायेगा-

(1) सह अभिधारियों के बीचः- (क) जोत के ऐसे विभाजन, और

(ख) उन विभिन्न प्रभागों, जिनमें जोत उक्त प्रकार से विभाजित की जाये, पर लगान के वितरण के बारे में करार द्वारा, या

(2) एक या अधिक सह अभिधारियों द्वारा जोत के विभाजन के प्रयोजनार्थ और उन विभिन्न प्रभागों, जिनमें यह विभाजित की जाये, पर लगाने के कारण के वितरण के प्रयोजनार्थ किसी वाद में सक्षम न्यायालय किसी डिक्री या आदेश द्वारा।

[(3) xxx लोपित xxx] [1]

(4) किसी एक या एक से अधिक जोतों के विभाजन के प्रत्येक वाद में सभी सह-अभिचारी और भू-धारक पक्षकार बनाये जायेगें।

(5) एक से अधिक जोतों के विभाजन के लिये एक ही वाद संस्थित किया जा सकेगा बशर्ते कि पक्षकार वे ही हों।"

अतः धारा 53 के उपधारा 4 में बंटवाड़े के वाद में सभी सहखातेदारों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में जमाबन्दी संवत् 2070-2073 के एवं वादपत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि बंटवाड़े के वाद में वादी द्वारा सभी सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादी द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में प्रस्तुत शपथ-पत्र PW-1 पर वकील प्रतिवादी के जिरह में यह स्वीकार भी किया है कि वादी ने बंटवाड़े का दावा किया है परन्तु सभी सह-खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वाद एवं वादी अधिवक्ता को यह जानकारी होते हुए कि बंटवाड़े के वाद में वाद दायर (दर्ज दिनांक 06.05.2014) [illegible] खातेदारों को पक्षकार बनाने हेतु भी कोई प्रार्थना-पत्र न्यायालय हाजा में [illegible] किया है। जबकि विभाजन के वाद में सभी सह-खातेदार आवश्यक एवं उ[illegible] पक्षकार होते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद [illegible] हम वादी का वाद, नवीन वाद पेश किये जाने का अवसर प्रदान करते हुए [illegible]ज किया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.14 16:18:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

–::आदेश::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक मे राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता हैं। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर, संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो ।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फारेस्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
(फारेस्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 31/03/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फारेस्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.14 16:18:03 IST
Reason: SelfAttested